GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1827
TO BE ANSWERED ON 29.07.2026

LEAVE FACILITIES TO RAILWAY STAFF

†1827. SHRI GIRIDHARI YADAV:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the leave facilities (such as weekly rest, annual leave etc.) provided to the train running staff (like Loco Pilot Guards etc.) in the Railways are also extended to the contractual staff working in the same train especially keeping in view the railway safety standard;

(b) if so, the details thereof including the rules, conditions and any special provisions applicable to the contractual staffs;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) whether the Government proposes to provide a better leave facility for the contractual staff to ensure railway safety and if so, the details thereof;

(e) whether the Government has conducted any study or review on this issue; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF RAILWAYS, INFORMATION & BROADCASTING AND ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY

(SHRI ASHWINI VAISHNAW)

(a) to (f) Indian Railways (IR) executes a wide range of works for creation, repair, upkeep and maintenance of its various assets including stations, coaches, wagons, coaching depots, locomotives, tracks, etc. pertaining to various departments namely Mechanical, Commercial, Electrical, Civil Engineering, Signal & Telecommunication, Medical, etc.

All employees working on railway projects are governed by the labour laws.

General Conditions of Contract (GCC) for Services also require agency to comply with all applicable Labour Legislations. The Railway Administration ensures compliance with the applicable statutory obligations by the agency through appropriate agreement provisions and the prescribed monitoring mechanism.

*****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
29.07.2026 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1827 का उत्तर

रेल कर्मचारियों को छुट्टी संबंधी सुविधाएं

1827. श्री गिरिधारी यादव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष रूप से रेलवे सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए, रेलवे में ट्रेन रनिंग स्टाफ (जैसे लोको पायलट, गार्ड आदि) को दी जाने वाली छुट्टी संबंधी सुविधाएं (जैसे साप्ताहिक विश्राम, वार्षिक छुट्टी आदि) उसी ट्रेन में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को भी दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संविदा कर्मचारियों पर लागू नियमों, शर्तों और किसी विशेष प्रावधान का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार रेलवे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविदा कर्मचारियों को छुट्टी संबंधी बेहतर सुविधा प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर कोई अध्ययन या समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): भारतीय रेल यांत्रिक, वाणिज्यिक, विदयुत, सिविल इंजीनियरी, सिगनल और दूरसंचार, चिकित्सा आदि जैसे विभिन्न विभागों से संबंधित स्टेशनों, सवारी डिब्बों, माल डिब्बों, कोचिंग डिपो, रेल इंजनों, रेलपथों आदि सहित अपनी विभिन्न परिसंपत्तियों के निर्माण, मरम्मत, रखरखाव और अनुरक्षण के लिए व्यापक पैमाने पर कार्यों को निष्पादित करती है।

रेल परियोजनाओं पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारी श्रम कानूनों द्वारा शासित होते हैं।

सेवाओं संबंधी संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) में एजेंसी को सभी लागू श्रम विधानों का अनुपालन करना भी अपेक्षित होता है। रेल प्रशासन करार के समुचित प्रावधानों और निर्धारित निगरानी तंत्र के माध्यम से एजेंसी द्वारा लागू सांविधिक दायित्वों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करता है।

*****